

कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड,
राँची।

8

कार्यालय आदेश संख्या :- 37

राँची-2 दिनांक :- 19/5/15

वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिसूचना संख्या सं0सं0-4/यो0
बजट-42/2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु
दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में
राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 15.05.15 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त
वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन
देने) हेतु अनुसूचित कार्य दर अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रधान
मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा दर का अनुमोदन किया गया। विभागीय एवं
गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली कुसुमी लाह उत्पादन को
प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन
हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) हेतु कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश
के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले
पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।



कार्य का विवरणी	दर	प्रथम वर्ष 2015-16 मजदूरी प्रति मानव दिवस 187.43					द्वितीय वर्ष 2016-17 मजदूरी प्रति मानव दिवस 208.17 (वृद्धि 10 प्रतिशत)					तृतीय वर्ष 2017-18 मजदूरी प्रति मानव दिवस 226.79 (वित्तीय वर्ष 2017-18 को आधार मानते हुए 10 प्रतिशत की वृद्धि)					सकल योग	अभ्युक्ति
		भौतिक लब्ध	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लब्ध	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लब्ध	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय		
की का स्कैपिंग एवं संग्रहण	4 मानव दिवस प्रति 100 वृक्ष	3750 वृक्ष	0.281			0.281	5000 वृक्ष	0.412			0.412	3750 वृक्ष	0.340			0.340	1.034	
हनीकी सहायता (विशेषज्ञों एवं 18 पर्यवेक्षकों का यात्रा व्यय है।)				0.250		0.250			0.250		0.250		0.000	0.250		0.250	0.750	
18 पर्यवेक्षकों को मानदेय	1 पर्यवेक्षक @ Rs. 5000/- पर्यवेक्षक / माह	1 पर्यवेक्षक (8 माह)	0.300	0.000	0.000	0.300	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	0.600	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	0.600	1.500	
RP (Community Resource Person) को मानदेय	12 CRP @ 2000/- प्रति माह	12 CRP (6 माह)	1.440			1.440	12 CRP (12 माह)	2.880			2.880	12 CRP (12 माह)	2.880			2.880	7.200	
सुकी लाह उत्पादन हेतु वैकल्पिक बक प्रजाति फलैमजिया सेमियालता 100000 (न 20 प्रतिशत निरिक्त) पोष्य तैयार करने हेतु स्थायी नर्सरी (निःशुल्क वितरण हेतु)		नर्सरी अभिन कार्य	1.724	1.067		2.791	नर्सरी समापन कार्य	2.639			2.639					0.000	5.430	इस नामांकी कुल जो अपनी निजी भूमि पर फलैमजिया प्रजाति से लाल पोषक पोषों की खेती करके माह 6 एवं द्वितीय वर्ष के कुल माह में पोष्य तैयार हेतु निःशुल्क पोष्य उपलब्ध कराए जाएंगे जिन पर सुकी लाह के पुनर्माह माह में बीटन लाह का संकलन कुल द्वारा कुल पर उत्पादित बीटन से किया जाएगा।
लैमजिया सेमियालता के निःशुल्क तरीत पोषों से लाह की खेती रने वाले लाभार्थी कृषकों के लिए प्रोत्साहन राशि	फलैमजिया सेमियालता के स्वस्थ पोषों के आधार पर 5 रु प्रति पोषा प्रोत्साहन राशि।												5.000			5.000	5.000	सुकी लाह में बीटन लाह संकलन हेतु तैयार फलैमजिया सेमियालता के पोषों की कुल 20 प्रतिशत उत्पादित/सुनिश्चित करने वाले कृषकों को पोषिक पोषों की 50 के आधार पर 5 रु प्रति स्वस्थ पोषा की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
नव आकस्मिक व्यय (गेट/प्लास्टिक रस्सी, रंग, पेंट, देशनरी इत्यादि)			0.000	0.500		0.500		0.500			0.500			0.500		0.500	1.500	
कुल			7.357	78.536	0.510	86.404		10.139	4.750	0.250	15.139		10.521	4.000	0.250	14.771	116.314	
concurrent Monitoring and valuation (including MS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)				0.986		0.986			0.303		0.303			0.295		0.295	1.584	
सकल योग			7.357	79.522	0.510	87.390		10.139	5.053	0.250	15.442		10.521	4.295	0.250	15.067	117.897	

समान वित्तीय वर्ष के लिए मजदूरी दर अब नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर 187.43 रुपये प्रति मानव दिवस के आधार पर योजना का प्रकलन तैयार किया जाएगा।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, आरखण्ड, रोसी।

कुसुमी लाह उत्पादन हेतु कार्य दर तालिका

कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना (तीन वर्षीय) की कार्य दर
लाह-पोषक प्रजाति कुसुम के वृक्षों की संख्या-12500 प्रति वन प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाभुक परिवार, कुल 1250 लाभुक परिवार

(रु० लाख में)

कार्य का विवरण	दर	प्रथम वर्ष 2015-16 मजदूरी प्रति मानव दिवस 187.43					द्वितीय वर्ष 2016-17 मजदूरी प्रति मानव दिवस 206.17 (वृद्धि 10 प्रतिशत)					तृतीय वर्ष 2017-18 मजदूरी प्रति मानव दिवस 226.79 (वित्तीय वर्ष 2017-18 को आधार मानते हुए 10 प्रतिशत की वृद्धि)					सकल योग	अभ्युक्ति
		भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय		
1. विहंगम	रु० 2.85 प्रति वृक्ष	12500 वृक्ष	0.331	0.000	0.000	0.331		0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.331	प्रति लाभुक परिवार 10 कुसुम के वृक्षों का विहंगम किया जाएगा जिसे तीन सेट में बांटा जाएगा। प्रथम वर्ष में सेट-1 के लाभार्थियों द्वारा एवं सेट-2 की कटाई छटाई किए गए 3750 (5 वृक्ष प्रति परिवार) उपलब्ध वृक्षों पर जनवरी/फरवरी माह में बीजक लाह का संसाधन किया जाएगा एवं सेट-2 के 5000 वृक्षों (4 वृक्ष प्रति परिवार) की कटाई छटाई की जाएगी।
2. तम्राही परिवारों के एक-एक को समूहों में INRG के लाह की द्वारा प्रशिक्षण	100 रु० प्रति परिवार प्रति वर्ष			1.000	0.250	1.250			1.000	0.250	1.250			1.000	0.250	1.250	3.750	
3. 12 CRP (Community Resource Person) के शिक्षित सदस्य / प्रति 100 को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में प्राकृतिक राल एवं गोद नामकुम, रौंजी में एक का प्रशिक्षण	2000 रु० प्रति प्रतिभागार्थी				0.260	0.260					0.000					0.000	0.260	भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोद संसाधन, नामकुम, रौंजी (INRG) के लाह बीजार्थियों द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
4. एवं अन्य सामग्री	रु० 1775/- प्रति कुलकीट, 100 वृक्षों पर एक फीट			2.219		2.219					0.000					0.000	2.219	प्रथम वर्ष में सेट-1 के लाभार्थी द्वारा कटाई छटाई किए गए 3750 (5 वृक्ष प्रति परिवार) उपलब्ध वृक्षों पर जनवरी/फरवरी माह में बीजक लाह का संसाधन किया जाएगा एवं सेट-2 के 5000 वृक्षों की कटाई छटाई की जाएगी। द्वितीय वर्ष में सेट-3 के 3750 वृक्षों की कटाई छटाई एवं सेट-2 के
5. कटाई-छटाई	1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष	5000 वृक्ष	1.874			1.874	3750 वृक्ष	1.546			1.546					0.000	3.421	बीजक लाह का प्रय निविदा के माध्यम से किया जाएगा।
6. गह का क्रय	4-8 कि० ग्रां प्रति वृक्ष; रु० 425.00 प्रति कि०ग्रा०	3750 वृक्ष		63.750		63.750	गत वर्ष उत्पादित बीजक से 5000 वृक्ष				0.000	गत वर्ष उत्पादित बीजक से 3750 वृक्ष				0.000	63.750	
7. व्यय	1 मा० दि० प्रति 5 वृक्ष	3750 वृक्ष	1.406			1.406	5000 वृक्ष	2.062			2.062	3750 वृक्ष	1.701			1.701	5.168	क्रम किए गए बीजक लाह से प्रथम वर्ष के जनवरी/ फरवरी माह में बीजक लाह का संसाधन सेट-1 के एवं सेट-2 लाभार्थी द्वारा कटाई छटाई किए गए वृक्षों पर जनवरी/फरवरी माह में सेट-2 के एवं सेट-3 वर्ष में सेट-3 के 3750 वृक्षों पर जनवरी माह में बीजक लाह का
8. निरक्षण पर व्यय	60 रु० प्रति वृक्ष (कीटनाशक इत्यादि)	3750 वृक्ष		2.250		2.250	5000 वृक्ष		3.000		3.000	3750 वृक्ष		2.250		2.250	7.500	
9. छिड़काव हेतु रॉकिंग स्प्रे मशीन	1 मशीन प्रति 10 लाभुक परिवार @ 6000 रु०			7.500		7.500					0.000					0.000	7.500	

ज्ञापांक :- 474

दिनांक :- 19/5/15

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्वद, झारखण्ड, राँची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


19/5/15

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची